



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2011/पौष 6, 1933

No. 255]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2011/PAUSA 6, 1933

## दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2011

विषय : राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन ।

सं. फा.7(37)/डीईआरसी/2008-09/अंक-2.—दिनांक 18 अप्रैल, 2008 की पिछली अधिसूचना सं. फा. 7(37)/डीईआरसी/2008-09 का अधिक्रमण करते हुए और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 87 के उपबंधों का उपयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए "राज्य सलाहकार समिति" का पुनर्गठन करता है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं:—

- |  |              |
|--|--------------|
| (1) अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग  | पदेन अध्यक्ष |
| (2) सदस्य, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग  | पदेन सदस्य   |
| (3) सदस्य, प्रमुख सचिव (पॉवर), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार  | तदैव-        |
| (4) सचिव-सह-आयुक्त, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग<br>दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार  | तदैव-        |
| (5) निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन/मुख्य अभियन्ता (विद्युत वितरण), उत्तर रेलवे<br>(दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और उत्तर रेलवे दो-दो वर्ष की अवधि के लिए<br>बारी-बारी से राज्य सलाहकार समिति के सदस्य रहेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का<br>कार्यकाल दो वर्ष के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख के अनुसार<br>शुरू होगा।) | तदैव-        |
| (6) सदस्य, लोक शिकायत सेल (पीजीसी)   | तदैव-        |
| (7) मुख्य अभियन्ता, दिल्ली नगर निगम  | तदैव-        |

(8) संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
(9) सचिव, ऊर्जा कुशलता ब्यूरो	तदैव-
(10) डॉ. जे. सी. दत्ता रॉय, वरिष्ठ प्रबन्धक, पी.एच.डी., सी.आई.सी.	तदैव-
(11) श्री अनिल रेलिया, निदेशक, एन.ए.बी.एल.	सदस्य-
(12) वरिष्ठ उपाध्यक्ष, (व्यापार विकास) आई ई एक्स	तदैव-
(13) श्री के. रामनाथन, प्रख्यात फ़ैलो, टेरी	तदैव-
(14) वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पी.टी.सी. इंडिया लिमिटेड	तदैव-
(15) सचिव, आई.सी.ए.आई.	तदैव-
(16) श्री अनिल सूद, अध्यक्ष, चेतना एनजीओ, ए-417, सोमदत्त चेम्बर-1, 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	तदैव-
(17) श्री बी.बी. तिवारी, ए-2/149, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली-110029	तदैव
(18) श्री सत्य प्रकाश गोयल, आर-261, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048	तदैव-

2. यदि किसी सदस्य द्वारा अपने संगठन को छोड़ने के कारण कोई रिक्ति होती है तो वह रिक्ति संबंधित संगठन के प्रमुख द्वारा नामित उसके उत्तराधिकारी से भरी जाएगी।

3. राज्य सलाहकार समिति के उद्देश्य हैं कि वह निम्नलिखित विषयों पर आयोग को सलाह दें:

- (क) नीति संबंधी मुख्य प्रश्न;
- (ख) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विस्तार से संबंधित विषय;
- (ग) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा अपेक्षाओं का अनुपालन;
- (घ) उपभोक्ता का हित संरक्षण ; और
- (ङ) यूटिलिटी द्वारा विद्युत आपूर्ति और समग्र कार्य-निष्पादन के मानदण्ड।

4. राज्य सलाहकार समिति में सम्मिलित संगठनों के अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विशेष आमंत्रिती के रूप में राज्य सलाहकार समिति की किसी बैठक में किसी अन्य संगठन /विशेषज्ञ/व्यक्ति को विशेष अतिथि के रूप में सहयोजित कर सकता है।

5. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग राज्य सलाहकार समिति की बैठक द्वारा तब बुलाई जाएगी जब उपर्युक्त पैरा 3 में सूचीबद्ध विषय (विषयों) पर समिति की सलाह आवश्यक हो।

जयश्री रघुरमन, सचिव

[सं. विज्ञापन III/4/187-एल/11/असा.]

## DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2011

**Subject : Reconstitution of the State Advisory Committee.**

**No. F. 7(37)/DERC/2008-09/Vol. II .—**In supersession of the notification No. F. 7(37)/DERC/2008-09, dated 18th April, 2008 and in exercise of the provisions of Section 87 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) hereby constitutes the "State Advisory Committee" (SAC) for National Capital Territory of Delhi, consisting of the following members :—

- |   |                     |
|---|---------------------|
| i. Chairman, Delhi Electricity Regulatory Commission                                    | Ex-officio-Chairman |
| ii. Members, Delhi Electricity Regulatory Commission                                    | Ex-officio-Member   |
| iii. Principal Secretary (Power), GNCTD   | -do-                |
| iv. Secretary-cum-Commissioner, Department of Food Supplies and Consumer Affairs, GNCTD | -do-                |

v. Director, DMRC/Chief Engineer (Electrical Distribution), Northern Railway [DMRC and Northern Railways shall be on the State Advisory Committee alternately for a spell of 2 years each. DMRC shall commence their 2 years term from the date of publication of this notification]	Ex-officio member
vi. Member, Public Grievances Cell (PGC), Department of Power, GNCTD	-do-
vii. Chief Engineer, MCD	-do-
viii. The Joint Secretary, Ministry of New and Renewable Energy Sources, Government of India	-do-
ix. Secretary, Bureau of Energy Efficiency	-do-
x. Dr. G.C.Datta Roy, Senior Manager, PHDCCI	-do-
xi. Sh. Anil Relia, Director, NABL	Member
xii. Sr. Vice President (Business Development), IEX	-do-
xiii. Sh. K.Ramanathan, Distinguished Fellow, TERI	-do-
xiv. Executive Vice President, PTC India Ltd.	-do-
xv. Secretary, ICAI	-do-
xvi. Sh. Anil Sood, President, Chetna, NGO, A-417, Somdutt Chamber-1, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066	-do-
xvii. Sh. B.B.Tewari, A 2/149, Safdurjung Enclave, New Delhi-110029	-do-
xviii. Sh. Sat Prakash Goel, R-261, 2nd Floor, Greater Kailash-I, New Delhi-110048	-do-

2. The vacancy that would arise on account of any member leaving his organization would be filled up by a member, nominated by the Head of the respective organization.

3. The objects of State Advisory Committee are to advise the Commission on the following issues :—

- (a) Major questions of policy;
- (b) Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
- (c) Compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;
- (d) Protection of consumer interest; and
- (e) Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

4. In addition to the organizations included in the State Advisory Committee, DERC may co-opt any other organization/expert/individual for any of the meetings of the State Advisory Committee, as a special invitee.

5. The meeting of the State Advisory Committee shall be convened by the DERC as and when the advice of the Committee is solicited on the issue(s) listed at para 3 above.

Mrs. JAYSHREE RAGHURAMAN, Secy.

[No. ADVT. III/4/187-L/11/Exty.]